न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37 / 2019 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जरिये श्री आर. के. जैन मुख्य प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 05, सर्किट हाउस रोड हनुमानगढ जं. (राज.)।

——प्रार्थी

विरूद्व

1. मैसर्स वेद किरयाना स्टोर जरिये प्रोपराईटर कंवर पाल सिह पुत्र श्री जय सिह दुकान नं. 63 ए,नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन(राज.)।

——ऋणी

2. श्रीमति शारदा देवी पत्नी कंवर पाल सिह पुत्र श्री जय सिह दुकान नं. 63 ए, नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन (राज.)।

——जमानती

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांकः—05.12.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी, हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ के वकील को सुना गया है। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ने ऋणी को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थीगण की रिहायशी सम्पति प्लॉट नम्बर 249 व 250 चक 15 एच एम एच पत्थर नम्बर 138 / 270 किल्ला नम्बर 12 झेडु बस्ती तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 44′ गुणा 45′), जो कि श्री कंवर पाल सिह पुत्र श्री जयसिह के नाम से है, व रिहायशी सम्पति चक 15 एचएमएच पत्थर नम्बर 138 / 270 किल्ला नम्बर 17 व 24, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 23′ गुणा 45′), जो कि श्रीमति शारदा देवी पत्नि श्री कंवर पाल सिंह के नाम से है, जिसके विरूद्ध दिनांक 03.06.2016 को राशि 70,00,000 / —रूपये (अखरे सत्तर लाख रूपये मात्र) का ऋण शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रदान किया था।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणियो से आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से साम्यक बंधक किया है।

अप्रार्थीगण के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थीगण का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशानुसार गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) के रूप में दिनांक 31.03.2019 को वर्गीकृत किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ, की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण का ऋण खाता गैर–निष्पादनीय आस्ति (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ ने अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस दिनांक 01.04.2019 अप्रार्थीगण को देते हुए बकाया रकम 73,32,592/–रूपये (अखरे तिहतर लाख बत्तीस हजार पॉच सौ बानवे मात्र) दिनांक 29.03.2019 तक का (ब्याज दिनांक 29.03.2019 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा तथा इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थीगण द्वारा समयावधि में रकम अदा न कियें जाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकशुदा सम्पति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण की होगी। मांग नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ को बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जबाव दिया। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थीगण को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2019 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकसुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण इसके बावजूद भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ के समक्ष जमा नही करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा नई धान मण्डी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ को सुपुर्द किया हैं। इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा रिहायशी सम्पति प्लॉट नम्बर 249 व 250 चक 15 एच एम एच पत्थर नम्बर 138/270 किल्ला नम्बर 12 झेडु बस्ती तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 44' गुणा 45'), जो कि श्री कंवर पाल सिह पुत्र श्री जयसिह के नाम से है, व रिहायशी सम्पति चक 15 एचएमएच पत्थर नम्बर 138/270 किल्ला नम्बर 17 व 24, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 23' गुणा 45'), जो कि श्रीमति शारदा देवी पत्नि श्री कंवर पाल सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कानून व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहेया कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी एवं जमानती द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को ऋण राशि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं जमानती को नोटिस दिनांक 01.04.2019 भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी एवं जमानती द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक के पास बंधकशुदा उक्त रिहायशी सम्पति प्लॉट नम्बर 249 व 250 चक 15 एच एम एच पत्थर नम्बर 138/270 किल्ला नम्बर 12 झेडु बस्ती तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 44' गुणा 45'), जो कि श्री कंवर पाल सिह पुत्र श्री जयसिह के नाम से है, व रिहायशी सम्पति चक 15 एचएमएच पत्थर नम्बर 138/270 किल्ला नम्बर 17 व 24, तहसील व जिला हनुमानगढ (बैंक मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 23' गुणा 45') जो कि श्रीमति शारदा देवी पत्नि श्री कंवर पाल सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सबधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार [illegible] करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ